# BANK OF INDIA **DEBIT CARD**

Most Important Terms and Conditions of Usage

## 1. DEFINITIONS

- a. Account/s means Cardholder's savings and/or current/overdraft account designated by the Bank to be eligible account/s for operations through the use
- b. Account Statement means a statement of account or the passbook issued by the Bank to a Cardholder setting out he transactions carried out and balance in the Account as on a given date, and any other information the Bank may deem fit to include
- c. ATM means any Automated Teller Machine whether in India or overseas whether of the Bank or of a specified Shared Network, at which, amongst others, the Cardholder can use his Card to access his funds in his Account held with
- d. The 'Bank' means Bank of India, a nationalized Bank having its Head Office at G Block, Plot No.C-5, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumba 400051 and its branches in India &
- e. Card means Bank of India Debit Card.
- f. Cardholder means a customer of the Bank to whom a Card has been issued and who is authorised to hold the Card.
- g. Charge means a charge incurred by the Cardholder for purchase of goods or services on the Card or any other charge as may be included by the Bank from time
- h. International Transaction means the transactions entered into by the Cardholder on his Debit Card outside of dia, Nepal and Bhutan.
- I Merchant Establishment (ME) means commercial establishments of any nature, wherever located, which honour the Card for transactions with them.
- Merchant means any person who owns or manages or operates a Merchant
- k. Personal Identification Number (PIN) is a four digit confidential number given to the Cardholder by the Bank, while issuing the card or later selected by him from time to time, which is used to identify the customer at an ATM or a POS terminal for putting through transactions.
- 1 POS Terminal means point of sale electronic terminal at ME whether in India or overseas, capable of processing Card Transactions and at which, amongst others, the Cardholder can use his card to the Bank to make purchases.
- m. Primary Account means the first account in the Accounts Particulars in the application for a card for the purpose of card operations
- n. Shared Network Visa/ Master Card RuPay networks, or any other tie up network like BANCS
- o. Transaction means any instruction given by a cardholder by using his card directly or indirectly, to the Bank to effect some action on the account.
- p. RuPayregulations means regulations issued by RuPay to its franchisee/member
- q. Visa/MasterCard regulations means regulations issued by Visa/MasterCard o its franchisee/member banks

# 2. ELIGIBILITY:

\*Savings / Current accounts individual capacity are eligible for issue of Card. In case of joint accounts, only such accounts as are permitted to be operated upon singly shall be eligible fo issuance of card. Accounts operated b

### account in which a minor is a joint account holder shall not be eligible. 3. VALIDITY

The Card is valid for use at ATMs of the Bank, approved ATMs of isa/MasterCard, approved ATMs of other banks and MEs with POS terminals in India and abroad and displaying logos Visa/ Master Card/ RuPay.

The Card is valid upto the last working day of the month and the year indicated on the Card.

oint signature or account of a minor or ai

### 4. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN) To enable the Cardholder to use the Car

Personal Identification Number (PIN vill initially be issued to him by the Bank The Cardholder shall ensure that the PIN received by him in a sealed mailer. The ardholder should immediately upon ceipt of the PIN, change the same to the PIN of his choice by using the card at ar ATM of the Bank. The changed PIN should be used by the Cardholder for all is future transactions till he changes the IN again, Under any circumstances the Cardholder should not disclose his PIN to nyone including a joint account holder and the Bank. The cardholder shall be solely responsible for the Consequence arising out of disclosure of his PIN ncluding any unauthorized use of the card. Any instructions given by means o the card and the PIN, whether onjunction or independently, shall be eemed to be instructions given by the Cardholder and the Bank shall be entitled to assume that those instructions are given by the Cardholder.

### 5. TRANSACTIONS ON THE CARD

- a. The Cardholder declares that the Card issued to him, if used overseas, shall be utilised strictly in accordance with the relevant exchange control regulations as ssued and amended by the Reserve Ban of India (RBI) from time to time. In the event of non - compliance by the Cardholder with the said Exchange Control Regulations, the cardholder shall e liable for action under the Foreign Exchange Management Act, 1999 or, such other corresponding enactment The: Cardholder may be debarred from
- ising the Card, either at the instance of the Banklor the RBI access his funds in his Account held with b. In case the Card is cancelled whether on account of non-compliance with Exchange Control regulations of otherwise, the Bank will not be responsible for any attempted usage of the Card whether in India or abroad Such usage will result in the Card being ishonoured and the concerned Merchan

ules in force. The entitlement of

exchange should be ascertained prior to

ne trip from the authorised dealer

branches of the Bank. The Card cannot be

used for effecting remittances for which

the release of exchange is not permissible

under the extant regulations.

c. Subject to the foregoing provisions, the Cardholder will not hold the Bank liable vould be entitled to 'pick up' such card on in case of improper / fraudulent unauthorized / erroneous use of the Card The Card may be used, within the foreign or through a duplicate card and/or the PIN exchange entitlements as stipulated b in the event of the Card falling in the RBI from time to time, by th hands of or through the PIN coming to the Cardholders going abroad for bonafide personal expenses, provided the total knowledge of any third party. xchange drawn during the trip abroad does not exceed the entitlement. Import of SURRENDER CARD: goods, so purchased abroad and brough nto India, would be governed by the paggage rules / EXIM policy or any other

# 8. CARDHOLDER'S RIGHT TO

a. The Cardholder may discontinue this facility any time by a written notice to the Bank and returning the Card to the Bank 11.MULTIPLE ACCOUNTS / JOINT cut into two pieces diagonally. The incurred on the card. The Bank shall be entitled to discontinue this facility at anytime by canceling the Card with or without assigning any reason whatsoever.

6. LOST OR STOLEN CARDS b. If the Cardholder desires to close the a. If a Card is lost or stolen, the Cardholder Primary Account or even otherwise decides to terminate the use of the Card must file a report with the local police and send a copy of the same to the Bank. The facility, he shall give the Bank not less than TWO working days' notice in writing Cardholder will be liable for all charges and forthwith surrender the Card to th incurred on the Card until the Card is hot-Bank at the Card-Issuing Branch and listed / cancelled The Cardholder may obtain a valid receipt thereof.

report a Card loss over the telephone or by

way of written communication by fax to

his branch of the Bank or designated

agency. The Bank upon adequate

verification will temporarily suspend the

Card, and will subsequently hot-list /

cancel the card during working hours on a

If the Cardholder loses his Card overseas.

he may either follow the above procedure

or may report the loss through the

Visa/ Master Card/ RuPay. Global

Emergency Assistance help-lines In case

the Cardholder uses such services, then

the charges for the usage of such services

c. Once a Card is reported lost or stolen and

to keep the card safely. The Cardholder

complied with the terms and conditions in

all respects, a replacement card may be

issued at the sole discretion of the Bank.

7. SURRENDER/REPLACEMENT OF

a. Card broken/damaged while in use or

otherwise or lost however, will be

replaced at a cost decided by the Bank

from time to time. A replacement Card

may, however, be issued at the Bank's

discretion against (i) a fresh application

and (ii) a suitable indemnity in case of a

lost Card or surrender of the Card if it is

b. The Card issued to the Cardholder shall

remain the property of the Bank and will

be surrendered to the Bank, on request or

in the event the card is no longer required

by the cardholder. The Cardholder shall

return the Card to the Bank for

cancellation in the event the services are

no longer required by the Cardholder or if

for any reason whatsoever. The Bank,

may, in its absolute discretion issue a

replacement Card, with a new PIN for any

lost or stolen Card or a new PIN on the

existing Card, or issue a renewal Card

with a new or the same PIN on the same

terms and conditions or such other terms

the services are withdrawn by the Bank

amount to fresh contract.

CARD

liability on the lost or stolen Card.

e. Provided that the Cardholder has

shall be borne by the Cardholder.

prevent misuse of such a card.

working day following the receipt of such

### BANK'S RIGHT TO REFUSE RENEWAL/TERMINATE CARD:

The Bank may in its absolute discretion renew a card upon payment of prescribed charges. The Bank shall be entitled in its absolute discretion to refuse to issue renew a Card to any Cardholder or withdraw the Card and/or services thereby provided at any time. The Bank shall terminate the Card facility with immediate effect upon the occurrence of any of the following events:

- Failure to adhere to or comply with the terms and conditions herein setforth and also the terms and conditions that are applicable to cardholder's accounts with is subsequently found, the same should be II. In the event of default under any
- promptly cut in half and returned to the agreement or commitment (contingent or Bank. Adequate care should be taken to otherwise) entered into with the Bank: III. The Cardholder becoming the subject of d. The Cardholder is responsible for the any bankruptcy, insolvency proceedings security of the Card. He shall take all steps
- or proceedings of similar nature: IV. Demise of the Cardholder: only has to suffer and bear the financial
  - V. Reported lunacy/insanity/unsound mind of the Cardholder
  - VI.If the Bank deems that the facility is being misused/improperly used in any way;
  - VII. If any adverse report is received from any of the Banks/Branches in the network: The Card shall be made non operational in case of Primary accounbeing made inoperative by the Bank Notwithstanding termination of the ATM Card facility, the transactions alread processed but reported to the Cardholder's branch after the termination shall be put through the Cardholder's

## broken/damaged as the case may be. 10.TERMS OF USAGE

- Issuance of a replacement Card shall not a. The Card is not transferable and shall be used only by the Cardholder.
  - The Cardholder shall at all times ensure that the Card is kept at a safe place, and shall under no circumstances whatsoever allow the Card to be used by any other individual. The Cardholder will sign on the reverse of the card in the signature panel immediately upon receipt of the card from the Bank
  - The Card is the property of the Bank and must be returned to an authorized persor of the Bank on request or in the event of cardholder no longer requiring the services. The Cardholder shall ensure that the identity of the authorized person of the Bank is established before handing over
- and conditions as the Bank may deem fit. d. The Cardholder will be responsible for all facilities granted by the Bank in respect of the Card and for all related charges.
  - The type of Transaction offered on Shared Network ATMs may differ from those offered on the Bank's own network. The Bank will only support cash withdrawa and balance enquiry transactions at th ATMs belonging to Shared Networks The Bank reserves the right to change the types of Transactions supported without any notice to the Cardholder.

# ACCOUNTS

Cardholder shall be liable for all charges a. The Cardholder agrees that in case he has multiple accounts with the Bank, the Bank shall have the right to decide the number of accounts, which will have the b. Transfer of primary account or any change in operational mode thereof wil not be allowed unless the Card is surrendered and dues, if any, against it be conclusive evidence of such instructions and such other details.

- c. The Bank will debit the Accounts linked to the Card for the value of all purchases 13 ATM USAGE of goods or services, cash, fees, charges a. At no time shall the Cardholder use or and payments payable by the use of the
- d. The Cardholder shall maintain, at all times, in his Primary Account at the Bank the minimum deposit amount as applicable from time to time during the validity period of the Card, and the Bank may, at its discretion levy such penal or service charges as per Bank's rules from time to time or withdraw the Card facility, if at any time, the amount of deposit falls or has fallen below the minimum amount of deposit as aforesaid, without giving any further notice to the Cardholder and/or without incurring any liability or responsibility whatsoever, by reason of such withdrawal.
- is a Joint account holder permitted to operate upon the joint account singly authorises the Bank to debit the account/s with the amount withdrawn and/or transfers effected by the use of the Card, as per Bank's records. The Bank's record for transaction processed by the ATM machine or POS terminal shall be binding on all the account holders jointly and each severally. All fees/charges related to the Card, as determined by the Bank, from time to time, will be recovered by debiting any of the Cardholder's accounts. In case any of the joint account holders desires to give stop payment / transaction instructions, in respect of operations of the Card, at least seven days clear prior notice, in writing, will have to be given to the Bank so as to enable the Bank to inform all Banks/ATM centers participating in the Network and take steps in its discretion to carry out the

# 12.STATEMENTS AND RECORDS

instructions.

- a. The Cardholder shall accept the Bank's record of the transactions as conclusive and binding for all purposes. The printed output that is produced at the time of operation of the ATMs is the record of the Cardholder's operations on the ATM and shall not be construed as the Bank's record for this purpose. Transactions conducted after the normal business hours, of the bank/branches would be reflected in the Bank's books of accounts on the next business day. For the purpose of levy of charges/interest etc., the actual date of transactions will be reckoned.
- b. The Cardholder should inform the Bank in writing within 15 days from the date of transaction if any irregularities or discrepancies exist in the Transactions / particulars of the Account. If the Bank does not receive any information to the contrary within 15 days, the Bank would assume that the Account Statement and the Transactions recorded therein are
- c. To ensure the Cardholder's interest, the Bank may record on camera or on videotape, at its own discretion, the access to and the presence of any person while availing the use of the Card facilities. All records maintained by the Bank, in electronic or documentary form,

of the instructions of the Cardholder and such other details, and all camera/video recording made as mentioned above, shall as against the Cardholder, be deemed to

- attempt to use the Card, (a) for withdrawal or transfer (within permitted limit) unless there are sufficient funds in the Accounts and/or (b) for withdrawal or transfer with intention to default payment of his cheque/s issued to other parties. In case an ATM/or POS terminal debit and clearing cheque are presented simultaneously in an account the ATM/or POS terminal debit would be accorded first priority over the cheque and in the event of insufficient funds after ATM/or POS terminal debit. the cheque would be returned by the
- It will be the responsibility of the account holder to maintain sufficient funds for cheque and other transactions.
- e. The Cardholder or such card holder who b. The Card is operable with the help of the confidential PIN at ATM locations. All Transactions conducted with use of the PIN will be the Cardholder's responsibility and he will abide by the record of the transaction as generated. When the Cardholder completes a transaction through an ATM, he can opt to receive a printed transaction record. The amount of available funds is shown on this ATM receipt when he uses his card.

and responsibility. Collection and credit

of proceeds of cheques is subject to the

relevant provisions of the Negotiable

All transactions, in particular deposit of

cash and cheques, shall be subject to

delay, due to transit period. The Bank

shall not be responsible for any loss or

e. The Cardholder should retain the record

of Transactions generated by the ATM

The Cardholder agrees that he will be allowed

to withdraw cash and make purchase upto a

maximum card specified limit (Refer product

Brochure for Daily Limit details), subject to

availability of clear balance in the Account(s)

or any such maximum withdrawal /purchase

limits decided by the Bank from time to time.

Any attempt to violate these limits

would lead to withdrawing of his Card

attempt to withdraw / purchase using the

Card unless sufficient funds are available

in the Account. The onus of ensuring

adequate Account balance is entirely on

facility. The Cardholder agrees not to

Cardholder due to such delays.

damage or inconvenience caused to the

- There shall not be any signed receipts for Establishment and debited to the deposits. Transactions of deposits shall be Cardholder's Account with the subject to verification by the Bank's Transaction amount officials or its designated persons, when d. Any charge or other payment requisition the deposit envelopes are opened and received from an ME by the Bank for cash/cheque(s) is/are verified. In case of payment shall be conclusive proof that the any discrepancy whatsoever, the Bank's charge recorded on such requisition was decision shall be final and binding upon properly incurred at the ME for the amount and by the Cardholder using the the Customer. Deposit involving mutilated or soiled notes will be subject to Card referred to in that charge or other final acceptance/reimbursement by requisition except where the Card has R.B.I, as per their Note Refund Rules. been lost or stolen and such loss was duly reported to the police and intimated to the Cheques will be accepted for collection Bank in terms of clause 6(a) above. only and the proceeds will not be e. If any Cardholder claims that the card was available until they have been cleared. Any deposits of foreign currency or otherwise considered unacceptable will be returned at the Cardholder's cost, risk
  - used fraudulently, the burden of proof of fraud lies with the Cardholder. The Bank does not undertake any responsibility of any loss if incurred by the card holder on account of such fraudulent usage. f. In case a cardholder wishes to cancel a completed transaction due to an error or

14.MERCHANT LOCATION USAGE

a. The Card is acceptable at all MEs in India

and abroad which display the logos of the

Bank / Visa / Master Card / RuPay

and which have a POS terminal. The Card

is for electronic use only. The Cardholder

must sign a Sales Slip whenever the Card

is used at a Merchant Establishment

and should retain his copy. The Bank at

an additional charge may furnish copies

of the Sales Slip as per Visa/ Master

Card/ RuPay rules upon card holders

request within 15 days of transaction date

Any Sales Slip not personally signed by

the Cardholder, but which can be prove

as being authorised by the Cardholder,

will be his liability. The amount of the

transaction is debited from the Primary

The Card is operable with PIN at POS

terminals installed at Merchant locations

depending on the functionality of the

for any dealings the Cardholder may have

with the Merchant including but not,

limited to the supply of goods and

services. Should the cardholder have any

complaints concerning any Merchant

Establishment, the matter should be

resolved by the Cardholder with the

Merchant Establishment and failure to do

so will not relieve him from any

obligations to the Bank. However, the

Cardholder should notify the Bank of this

complaint immediately for action by the

Bank as per Visa/ Master Card/ RuPay

any surcharge levied by any Merchant

c. The Bank accepts no responsibility for

b. The Bank will not accept responsibilit

POS terminal.

Account linked to the Card immediately

- on account of merchandise return, th earlier sales receipt must be cancelled by the Merchant, and a copy of the receipt for cancellation transaction must be retained by the Cardholder. Reversal/debits due to such Transactions will be processed manually. It is necessary for the cardholder to produce the sales receipts for the cancellation transaction for effecting the reversals.
- g. The card should not be used for any mail order/phone order and any such usage will be considered as unauthorized and the Cardholder will be solely responsible for all such transactions.

### 15. INTERNATIONAL TRANSACTIONS

a. The Cardholder will get his passport endorsed for the foreign currency withdrawn during the calendar year by an authorised dealer of foreign exchange and present the same to the Bank for confirmation before the year-end. The Cardholder agrees to indemnify and hold harmless the Bank from any loss and all consequences arising from noncompliance of the Exchange Control

Regulations of the RBL or violation of any provision for the Foreign Exchange gement Act. 1999 or any other

Settlement of transaction in foreign

corresponding provisions.

- currency shall be effected as per Visa MasterCard/RuPay mechanism. In case a Card is cancelled, whether on account of non-compliance with Exchange Control Regulations or otherwise, the Bank will not be responsible for any attempted usage of the Card whether in India or abroad The issue and use of Card will be subject to the RBI's regulations in force from time to time. The Cardholder also recognizes that foreign currency withdrawals are permitted only if there is at the time of withdrawals adequate equivalent Indian rupee balance in his accounts against which the Card has been issued and in case of inadequate balance, the withdrawals will be denied The Cardholder shall indemnify and hold
- narmless the Bank from any and all consequences arising from the Cardholder not complying with the Exchange Control Regulations of the RBI, Foreign Exchange Management Act, 1999 and/or any other Act or
- The Cardholder agrees that every transaction for withdrawal of foreign currency will attract a service charge stimulated by the Bank and such service charge shall be debited to the account of the cardholder either at the time of ansaction or later. The service charge is liable to be changed without notice.
- The exchange rate used for all foreign currency Transactions will be decided b e Bank and will be binding on the
- All transactions with the card, whether at the Bank's ATMs or at other Bank's ATMs or at the POS terminal, will be deemed as authenticated transactions done by the cardholder himself and / or with his knowledge / authority, express or implied notwithstanding any claims of circumstances to the contrary. The Cardholder shall, in all circumstances accept full responsibility for all sactions processed by the use of the Card. In case of Primary accounts, which are Non-Resident Ordinary / External ecounts, it will be the sole responsibilit of the cardholder to comply with the rules and regulations / norms laid down by RBI with regards to the operations of such

### 16. GLOBAL CARDHOLDER ASSISTANCE SERVICES (VISA MASTERCARD / RUPAY GLOBAL EMERGENCY ASSISTANCE HELPLINES)

The multi-lingual Visa/ MasterCard/ RuPay Emergency Assistance Service Programs offer worldwide emergency referral assistance to Visa/ MasterCard/ RuPay Cardholders. These include a wide range of legal, medical and other services. The services covered under these facilities are provided by third-party service providers and are paid for by

International The Cardholder is responsible for the cost of any and all medical, legal or other services used under these facilities. Assistance is provided on a best effort pasis and may not be available due to blems of time, distance or locations The medical and/or legal professionals suggested and/or designated by Visa/ Master Card/ RuPay International are notemployees of Visa/ Master Card/ nternational and, therefore Visa/ Master Card/ RuPay International are not responsible for the availability, use, acts, omissions or results of any medical legal or transportation service. The Bank does not accept any responsibility for the arrangement or the use of such services.

# 17. EXCLUSION FROM LIABILITY 18. WITHDRAWAL OF FACILITIES

a. In consideration of the Bank providing the Cardholder with the facility of the available to the Cardholder more services Card, the Cardholder hereby agrees to on the Card, ATMs, POS Terminals and/or other devices through shared indemnify and keep the Bank indemnified from and against all actions, Networks for the Cardholder' convenience and use. All fees and claims, demands, proceedings, losses, charges, related to Transactions done by damages, personal inquiry costs charges he Cardholder at these devices, as and expenses which the Bank may at any determined by the Bank from time to time incur, sustain, suffer or be put to as a consequence of or by reason of or arising time, will be recovered by a debit to his Account The Cardholder understands out of providing the Cardholder the said and agrees that the Shared Networks may facility of the Card or by reason of the provide different functionalities and Bank's acting in good faith and taking or service offerings and different charges for refusing to take or omitting to take action different services. The Bank shall also, in on the Cardholder's instructions and in its sole discretion, at any time, without particular arising directly or indirectly out notice to the Cardholder, be entitled to of the negligence, mistake or misconduct withdraw, discontinue, cancel, of the Cardholder: breach or nonsuspend/or terminate the facility to use compliance of the rules terms and Card and/or services related to it, at conditions relating to the Card and the ATMs/POS Terminal/ other devices Account and/or fraud or dishonesty within/outside India and shall not be relating to any Transaction by the liable to the Cardholder for any loss or Cardholder or his employee or agents. damage suffered by him resulting in any way from such suspension or termination

19.DISCLOSURES

. The Cardholder hereby expressly

authorizes the Bank to disclose at any

time and for any purpose, any information

whatsoever relating to the Cardholder's

personal particulars, accounts.

any court of competent jurisdiction, quasi

judicial authority, law enforcemen

agency, relevant wing of Centra

Government or State Government RBI

ncome Tax authorities. Statutory

Authorities, financial institution, Credi

Bureaus / agencies or any company which

is an affiliate or associate or subsidiary of

he Bank, where the disclosure is required

The Cardholder agrees to provide to the

Bank information required by law or

regulation, or any other information the

Bank may reasonably request from time

to time. The Bank reserves the right to

disclose customer information to an

judicial authorities, law enforcement

agencies and any other relevant authority.

a. The Bank reserves the right to levy

service charges as and when it deems fit

and also reserves the right to revise the

charge the Cardholder for the issue or

reissue of a Card and/or any fees/charges

for the Transactions carried out by the

Cardholder on the Card. Any such fee

and charges will be debited to the

Cardholder's Account at the time the fee

or charge is incurred. In addition, operator

additional charge for each useof their

ATM / POS Terminal/ other devices, and

any such charge alongwith other

applicable fees/charges will be debited to

the Cardholders Account. There will be

separate service charges levied for sucl

acilities as may be announced by the

Bank from time to time and debited to the

have sufficient funds to debit such fees,

the Bank reserves the right to deny any

further Transaction. The decision of the

Bank shall be binding on the Cardholder.

or tax payable as a result of the use of the

Card shall be the Cardholder's

responsibility and if imposed upon the

Bank (either directly or indirectly), the

Bank shall recover such charges, duty or

tax by debiting the Cardholder's Account

d. Any government charges, duty or debits

Cardholder's Account.

without any notice.

shared networks may impose an

or any other person in the conduct of its

deems fit to make such disclosure.

y law or otherwise to whom the Bank

nsactions or dealings with the Bank, to

The Bank may at its discretion make

- b. The Cardholder agrees to indemnify the Bank for any machine/mechanical error/failure. The Cardholder shall also indemnify the Bank fully against any loss on account of misplacement by the courier or loss-in-transit of the Card/PIN.
- Without prejudice to the foregoing, the Bank shall be under no liability whatsoever to the Cardholder in respect of any loss or damage arising directly or indirectly out of: Any defect in quality of goods or services

supplied by MEs.

- \* The refusal of any person to honour or accept a Card.
- \* The malfunction of any computer terminal, ATM or POS terminal. \* Effecting Transaction instructions other
- than by a Cardholder. Handing over of the Card by the Cardholder to anybody other than the designated employees of the Bank at the
- Bank's premises \* The exercise by the Bank of its right to court of competent jurisdiction, quasi demand and procure the surrender of the Card prior to the expiry date printed on its face, whether such demand and surrender is made and/or procured by the Bank or any person or computer terminal, ATM or 20.FEES/CHARGES POS terminal
- \* The exercise by the Bank of its right to terminate any Card.
- Any injury to the credit, character and reputation of the Cardholder alleged to The Bank reserves the right at any time to have been caused by the re-possession of the Card and/or, any request for its return or the refusal of any Merchant Establishment to honour or accept the
- \* Any mis-statement, misrepresentation, error or omission in any details disclosed by the Bank
- d. Except as otherwise required by law, if the Bank receives any process, summons, order, injunction, execution decree, lien, information or notice which the Bank in good faith believes calls into question the Cardholder's ability, or the ability of someone purporting to be authorized by the Cardholder, to transact on the Card the Bank may, at its option and without liability to the Cardholder or such other c. In the situation that the Account does not person, decline to allow the Cardholder to obtain any portion of his funds, or may pay such funds over to an appropriate authority and take any other steps
- required by applicable law. The Bank reserves the right to recover from the Cardholder's Account a reasonable service charge and any expenses it incurs, including but not limited to reasonable legal fees, due to legal action involving the Cardholder's

- to deduct from the account and expenses including but not limited to egal expenses it may incur in recovering the money owed to it by the Cardholder n connection with the fransactions with
- f. In case the account gets overdrawn due to any reason, the Cardholder should provide enough funds to bring it in credit For every occasion when the account is overdrawn, a flat fee is levied, in addition a. the interest. The flat fee and interest hall be recovered at the rate determined by the Bank from time to time.
- g. In the event of an Account being overdrawn due to Card Transaction, the Bank reserves the right to set off this amount against any credit lying in any of the Cardholder's other accounts held singly or jointly without giving any notice, wherever applicable. h. Nothing in these terms and conditions
- shall affect the Bank's right of set-off, transfer and appropriation of monies pursuant to any other agreement from ime to time subsisting between the Bank and Cardholder. I For details of Applicable fees and charges for issue / renewal / usage of the Card, visit Bank of India website.

### (www.bankofindia.co.in) 21 DISPUTES

- a. The Bank accepts no responsibility for efusal by any Merchant Establishment to accept and/or honour the Card. In case of dispute pertaining to a Transaction with a Merchant Establishment, a sales slip with the signature of the Cardholder together with the Card number noted thereon shall be conclusive evidence as between the Bank and the Cardholder as to the extent of liability incurred by the Cardholder and the Bank shall not be required to ensure that the Cardholder has duly received the goods purchased/to be purchased or has duly received the service availed/to be availed to the Cardholder's satisfaction.
- b. A sales slip with the signature of the ardholder together with the card number noted thereon shall be conclusive cardholder as to the extent of lia ncurred by the cardholder. The Bank shall make bonafide and reasonable efforts to resolve an aggrieved cardholder's disagreement with the charge indicated in the statement within two months of receipt of the notice of disagreement. If after such effort, the Bank determines that the charge indicated is correct then it shall communicate the same to the cardholder along with details
- payment requisition Any dispute in respect of a Shared Network ATM Transaction will be resolved as Per regulations of the respective network. The Bank does not accept responsibility for any transactions the Cardholder may have on the Shared Networks. Should the Cardholder hav Network ATM, the matter should be resolved by the Cardholder with the Shared Network, and failure to do so will not relieve him from any obligations to the Bank. However, the Cardholder should notify the Bank of the complaint

### 22.INSURANCE BENEFITS

a. The Cardholder may, under the Card, be offered various insurance benefits from time to time by the Bank through a tie up with an insurance company. The Cardholder specifically acknowledge that he shall not hold the Bank responsible for any matter arising out of or in onjunction with such insurance cover. whether for or in respect of any deficiency or defect in such insurance cover recovery or payment of compensation. processing or settlement of claims or otherwise howsoever, and all such matters shall be addressed to and sorted out directly with the insurance company

e. The Cardholder also authorizes the Bank b. The insurance company will be solely liable for settlement of the claim. Further the Cardholder also agrees that the Bank may at any time (in its sole discretion and without giving any notice thereof to the Cardholder or assigning any reason thereof) suspend, withdraw or cancel the benefit of such insurance cover, and there will be no binding obligation on the Bank to continue this benefit

### 23.MISCELLANEOUS

- The terms and conditions for use of the Card are as specified in this document and as amended by the Bank from time to ime. The Cardholder shall be deemed to have unconditionally agreed to and accepted these terms and conditions by signing the Card application form, acknowledging receipt of the Card in writing or by signing on the reverse of the Card, or by performing a transaction with he Card or by requesting activation of the Card to the Bank or after 10 days having elapsed since the Card was dispatched to is address on record.
- These terms and conditions will be in addition to and not in derogation of the terms and conditions relating to any account of the Cardholder. The Bank may also make changes in the terms and conditions without notice, if it is considered that the changes are necessary o maintain or restore the security of the electronic system or equipment used fo the Card Transactions and/or for any other reason whatsoever and the same shall be oinding on the cardholder.
- The Bank will not be responsible if the ATMs failed to function due to preakdown of power, communication line, mechanical failure or for any reasons which are beyond its control.

# 24.NOTIFICATION OF CHANGES

- a. The Bank has the absolute discretion to withdraw the Card and/or the services thereby provided or amend or supplement any of the above terms and condition at any time without prior notice to the Cardholder.
- evidence as between the Bank and the b. All authorizations and power conferred on the Bank are irrevocable

# 25.GOVERNING LAW

- a. The usage of the Card and the terms and conditions will be governed by the laws of
- . The Cardholder undertakes to comply with the applicable laws and procedure while availing of and utilizing the Card. All disputes are subject to the jurisdiction of the competent courts in Mumbai.

### including a copy of the Sales Slips or 26.FORCE MAJEURE:

The Bank will not be responsible nor sha it be liable to indemnify the Cardholder in the event of any loss or damage suffered by the Cardholder due to any cause or eason beyond the control of the Bank.

Bank of India RuPay Platinum Kit T&C

# बैंक ऑफ इंडीया उपयोग हेतु महत्वपूर्ण निबंधन एवं शर्ते

हेत पात्र है।

अपने प्रतिनिधी/सदस्य बैंको को जारी विनियमन।

संयक्त खाते के मामले में, केवल वे ही खाते जो

एकल रूप से परिचालन किए जाने हेत अनमत है

कार्ड जारी करने के लिए पात्र रहेंगे. संयुक्त हस्ताक्षरो

दारा परिचालित खाता या अवयस्क का खाता य

खाता जिसमें अवयस्क संयक्त खाताधारक है, पात्र

बैंक को एटीएम, बीजा / मास्टरकार्ड / रूपे के

अनमोदित एटीएम अन्य बैंकोको एटीएम और भारत

मे तथा विदेशों में वीजा / मास्टर कार्ड / रूपे कार्ड

अन्य बैंको के लोगो का प्रदर्शन करनेवाले पॉइंट ऑफ

सेल युक्त (एमई) सदस्य स्थापना में कार्ड उपयोग के

कार्डधारक द्वारा कार्ड का उपयोग करने हेत बैंक उसे

आरंभ में एक निजी पहचान संख्या (पिन) प्रदान की

जाएगी. कार्डधारक सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा

सीलबंद मेलर के माध्यम से पिन प्राप्त हुई है.

काईधारक पिन की प्राप्ती के उपरांत तरंत बैंक के

एटीएम में अपने कार्ड का उपयोग कर अपने पसंद की

पिन संख्या के द्वारा इसे बदल सकते हैं, काईधारक

दारा अपने सभी भविष्य के लेन-देनों के लिए परिवर्तित

पिन का उपयोग करना होगा. किसी भी परिस्थिती मे

काईधारक ने अपना पिन जब तक वह पुन: पिन का

परिवर्तन नहीं करता, संयुक्त खाताधारक और बैक

के साथ किसीको भी बताना नहीं चाहीए. अपनी पिन

संख्या का प्रकटन करने के फलस्वरूप कार्ड के किसी

अप्राधिकत उपयोग सहित किसी परीणामों की

जिम्मेदारी केवल कार्डधारक की होगी, कार्ड और

संयोजन या स्वतंत्र रूप में हो, यह माना जाएगा कि

कार्डधारक द्वारा दिए गये अनुदेश है और बैंक यह

मानने के लिए हकदार रहेगा कि वे अनदेश

गया कार्ड यदि विदेशों में उपयोग मे लाया जाता है तो

उसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वार

समय-समय पर जारी और संशोधित संबंधित विनिमय

नियंत्रण विनियमनों के अनुरूप ही रहेगा. अंत: विनिमय

नियंत्रण विनियमनों का कार्ड धारकों दारा अनुपालन न

करने की स्थिति में कार्ड धारक विदेशी विनियम

प्रबंधन अधिनियम, १९९९ या ऐसे अन्य समवर्ती विधि

के अंतर्गत कार्रवाई के लिए पात्र रहेगा. कार्ड धारक

को बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कार्ड का

नियंत्रण विनियमनों के अनुपालन न करने के कारण य

अन्यथा हो, बैंक कार्ड के, चाहे भारत में या विदेश मे

हो, किसी उपयोग के प्रयास हेत जिम्मेदार नहीं होगा.

ऐसे उपयोग का परिणाम यह होगा कि कार्ड का

भगतान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित मर्चट ऐसे

कार्ड की प्रस्तृति करने के उपरांत उसे अपने पास

खर्चोंके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारीत

विदेशी विनियम पात्रताओं के भीतर कार्ड का उपयोग

किया जा सकता हैं, बशतें की विदेश में प्रवास के

दौरान आहरित कुल विनियम पात्रता से अधिक नहीं

होना चाहीये विदेशोंमे खरीदी गई और भारत में लायी

रखने के लिए हकदार होगा

उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

कार्डधारक द्वारा दिए गए है

पिन के माध्यम से दिये गये कोई अनदेश, चाहे

- क) खाता/खाते का अर्थ होगा बैंक द्वारा निमत किया गया 2. पात्रता: बचत और / या चाल / ओवरडाफ्ट खाता जो कार्ड के बचत खाता चेक बक सविधा सहित उपयोग के माध्यम से खाता/ खातें के परिचालन हेत् चालु खाते व्यक्तिगत क्षमता में कार्ड जारी करने
- ख) खाता विवरण का अर्थ होगा, बैंक द्वारा कार्डधारक को जारी की गई खाता विवरणी या पास बक जिसमे किये गये लेन-देन और खाते में यथा तारिख को शेष राशि. और ऐसी अन्य कोई जानकारी जिसे बैंक योग्य
- ग) एटीएम का अर्थ होगा ऐसी स्वयंचलित टेलर मशीन जो भारत या विदेशों में, चाहे बैंक की हो या विनिर्दिष्ट 3 वैषता साझा नेटवर्क की हो. जिसमे अन्य के साथ-साथ कार्डधारक बैंक में रखें गये अपने खाते से निधि प्राप्त करने के लिए अपना कार्ड उपयोग में ला सकता है।
- घ) बैंक का अर्थ होगा बैंक ऑफ इंडीया, एक राष्ट्रीयकृत वैंक जिसका प्रधान कार्यालय जी ब्लॉक, प्लॉट नं. सी-५, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लॅक्स, बांद्रा (प्), मुंबई ४०० ०५१ में स्थित हैं और उसकी शाखाए भारत और 4. निजी पहचान संख्या पीआईएन
- ड) कार्ड का अर्थ होगा बैंक ऑफ इंडीया, डेबिट कार्ड।
- च) कार्डधारक का अर्थ होगा बैंक का वह ग्राहक जिसे कार्ड जारी किया गया है और जो कार्ड रखने के लिये प्राधिकत है।
- छ) प्रभार का अर्थ होगा काईधारक द्वारा वस्त् या सेवाओं को खरीद के लिए कार्ड पर खर्च किया गया कोई प्रभार या कोई अन्य ऐसा प्रभार जो समय-समय पर बैंक द्वारा शामिल किया जाए।
- ज) अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन का अर्थ होगा कार्डधारक धारक द्वारा अपने डेबिट कार्ड पर भारत, नेपाल और भतान के बाहर किया हुआ कोई लेन-देन।
- मर्चंट आख्यापना (एमई) का अर्थ होगा किसीभी स्वरुप की वाणिज्यिक स्थापना, जहां भी स्थापित है, जो उनके साथ लेन-देन के लिए कार्ड को स्वीकार करती
- त्र) मर्चंट का अर्थ होगा कोई व्यक्ति मर्चंट स्थापना का स्वामी है या प्रबंध करता है या परिचालन करता है.
- ट) निजी पहचान संख्या (पिन) बैंक द्वारा कार्ड धारक को दी गई चार अंको की वह गोपनीय संख्या होगी, जो 5 कार्ड पर लेन-देन कार्ड जारी करते समय दी जाएगी या बाद में उसके क) कार्डधारक घोषित करता है कि उसको जारी किया द्वारा समय-समय पर चयनित की जाएगी, जो लेन-देन के समय एटीएम या पीओएस टर्मिनल पर ग्राहक की पहचान के लिए उपयोग में लायी जाएगी।
- पीओएस टर्मिनल का अर्थ होगा सदस्य स्थापना में पॉइंट ऑफ सेल इलेक्टॉनिक टर्मिनल, चाहे भारत या बाहर हो जो कार्ड लेन-देन प्रक्रिया के लिए सक्षम हो और जिसमें अन्य के साथ-साथ कार्ड धारक खरीद करने के लिए बैंक के पास रखे गये अपने खाते से अपनी निधि प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकता है।
- ड) प्रमुख खाते का अर्थ होगा कार्ड परिचालनों के उद्देश्य से कार्ड के आवेदन के लिए खातोंके विवरण में दिया ख) यदि कार्ड निरस्त किया जाता है, याहे वह विनियम
- ह) साझा नेटवर्क का अर्थ होगा वीजा/मास्टर/रूपे कार्ड नेटवर्क या बँक के किसी भी नाम के निजी नेटवर्क।
- ण) लेन-देन का अर्थ होगा कार्ड घारक द्वारा अपने कार्ड के उपयोग द्वारा बैंक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाते पर कुछ कार्रवाई करने के लिए दिया गया कोई ग) कार्डधारको द्वारा विदेश जाते समय योग्य निजी
- त) वीजा विनियमन का अर्थ होगा वीजा द्वारा अपने प्रतिनिधि/सदस्य बँकोको जारी विनियमन मास्टर कार्ड विनियमन का अर्थ होगा मास्टर कार्ड द्वारा अपने प्रतिनिधि / सदस्य बैकोको जारी कीया गया कोई विनियमन। रूपे विनियमन का अर्थ होगा, रुपे द्वारा

प्राधिकत डीलर शाखाओंसे किया जाना चाहिये. कार्डधन प्रेषण करने के लिए प्रचलित विनियमोंके अंतर्गत विनिमय का जारी किया जाना अनुमत नहीं है।

# 6. कार्ड गुम होना शा कार्ड की चोरी

- कार्डधारक ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए और इसकी प्रति बैंक को भेजनी चाहिए. जब तक कार्ड हॉट लिस्ट/ निरस्त नहीं होता कार्ड पर किए सभी प्रभारों के लिए कार्डधारक जिम्मेदार होगा. कार्डधारक कार्ड गुम होने की जानकारी बैंक की उसकी शाखा या नामित एजेंसी को टेलिफोन या फैक्स द्वारा लिखित निवेदन के माध्यम से दे सकता है. बैंक पर्याप्त सत्यापन के पश्चात कार्ड आस्थायी रूप से निलंबित रखेगा और बाद में ऐसी जानकारी की प्राप्ती पर कार्य दिन पर कार्य के दौरान कार्ड हॉट लिस्ट/ निसस्त करेगा।
- ख) यदि काईधारक का काई विदेश में खो जाता है तो वह या तो उक्त प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है या वीजा/मास्टर कार्ड ग्लोबल आपाल्कालीन सहायता क) इसमें निर्धारित किये गये निबंधन और शर्तों या बैंक के एजेंसी हेल्प लाईनों के माध्यम से खोने की जानकारी दे सकता है. यदि कार्डधारक ऐसे सेवाओंका उपयोग करना है तो ऐसी सेवाओं के उपयोग हेतु खर्च का वहन ख) बैंक के साथ किसी करार या प्रतिबद्धता (आकस्मिक काईधारक करेगा।
- ग) एक बार जब कार्ड गुम होने या चोरी हो जाने तथा ग) यदि कार्डधारक पर किसी शोधन अक्षमता, पश्चात प्राप्त होने की जानकारी मिलती है तो तत्काल दिवालिया कार्यवाही या इसी स्वरूप की कार्यवाही उसे दो भाग में काटना चाहिए और बैंक को वापस होती है लौटाना चाहिए. ऐसे कार्ड के दुरुपयोग से बचने के घ) कार्डधारक की मृत्यु होने पर;
- कार्ड के सुरक्षा के लिए कार्डधारक जिम्मेदार होगा.
  दिमाग के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर: कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए वह सभी उपाय छ) यदि बैंक को आभास होता है कि इस सुविधा का करेगा. कार्डधारक को ही खोए या चुराए कार्ड पर किसी वित्तीय देयता को वहन करना पड़ेगा।
- ड) बशर्ते कि सभी संबंधों में कार्ड धारक द्वारा सभी ज) यदि नेटवर्क के किसी भी बैंक / शाखा से प्रतिकल निबंधनों और शर्तों का अनपालन के पश्चात हो बैंक के रिपोर्ट प्राप्त होती है। एकमेव विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रतिस्थापित कार्ड जारी किया जाएगा।

- 7. कार्ड का अध्यर्पण / प्रतिस्थापन क) उपयोग करते समय या अन्यथा या खोने के समय यदि कार्ड ट्टा /क्षतिग्रस्त हुआ तो बैंक उसे समय समय पर विनिश्चित लागत पर प्रतिस्थापना करेगा. तथापि प्रतिस्थापित कार्ड बैंक के विवेकाधिकार से (१) नये 10 उपयोग की शर्ते टुटा / क्षतिग्रस्त हुआ है, के मामले में, जैसी भी स्थिति हो उचित क्षतिपूर्ति पत्र पर जारी किया जाएगा।
- ख) कार्डधारक को जारी किया गया कार्ड बैंक की संपत्ति होगी और अनरोध परी होने या कार्डधारक द्वारा कार्ड को आवश्यकता न होने की स्थिति में उसे बैंक को अध्यर्पित किया जाएगा. कार्डधारक द्वारा सेवाओंकी आवश्यकता न रहने की स्थिति में या किसी भी कारण से बैक द्वारा सेवाएं वापस ले ली गई हो, कार्डधारक बैंक को कार्ड निरस्त करने के लिए लौटा देगा, बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से किसी खोए या चुराए कार्ड के लिए नए पिन के साथ प्रतिस्थापित कार्ड या विद्यमान कार्ड पर नया पिन जारी कर सकता है, या नवी कृत कार्ड नए या उसी पिन पर उसी निबंधनो और शर्तो पर जिसे बैंक योग्य समझे जारी कर सकता है।
- ग) उपर्युक्त प्रावधानो के अध्यधीन कार्ड के अयोग्य / अप्राधिकृत/ गलत उपयोग या डुप्लिकेट कार्ड के ड) साझे नेटवर्क एटीएम पर उपलब्ध की गई सुविधाओं से जरिए और या पिन के जरिये किसी अन्य पक्षकों कार्ड विंक के अपने नेटवर्क पर उपलब्ध की गई सविधाओं मिलने या किसी अन्य पक्ष की जानकारी में पिन आने से कार्ड के उपयोग के लिए कार्ड धारक बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

# गई वस्तओंकी आयात पैकेज नियमों / एग्जिम निति 8 कार्ड के अध्यर्पण हेत कार्डधारक के अधीकार

- और प्रभावी किसी अन्य नियमों द्वारा अधिशासित क) कार्डधारक बैंक को लिखित रूप में सूचना देकर और रहेगी. विनियम पात्रता का पता यात्रा के पूर्व बैंक की कार्ड को दो टकडे कर बैंक को लौटाकर यह सुविधा समाप्त कर सकता है. कार्ड धारक कार्ड को सभी प्रभारों के लिए उत्तरदायी रहेगा. बैंक किसी भी समय किसी भी प्रकार का कारण देकर या न देते हुउ भी कार्ड निरस्त कर यह सुविधा समाप्त कर सकता है।
- विकार्ड गुम होता है या कार्ड की बोरी होती है तो ख) यदि खाताधारक प्रमुख खाता बंद करना चाहता है या अन्यथा कार्ड सविधा बंद करना चाहता है वह बैंक को सुचना देगा जो दो कार्य दिन की सुचना से कम ना हो और कार्ड जारी कर्ता शाखा में बैंक को कार्ड का तात्काल अभ्यर्पण करेगा और इसकी वैध रसीद प्राप्त

# नवीकरण अस्वीकार करने /कार्ड समाप्त करने हेत् बैंक के अधिकार

- निर्धारित प्रभारों के भगतान के पश्चात बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर कार्ड का नवीकरण करेगा. बैक किसी काईधारक को काई जारी करने/नवीकरण करने से इन्कार कर सकता है, या कोई और या इसमे दी गई किसी सेवाओं को वापस ले सकता है, बैंक निम्नलिखित किसी भी प्रसंग होने के उपरांत कार्ड सविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त करेगा।
- पास कार्डधारक के खाते को लाग निबंधन और शती का भी पालन या अनसरण करने में असफल होना।
- या अन्यथा) के अंतर्गत व्यक्तिकम के प्रसंग में।
- च) कार्डधारक के मर्खतापर्ण व्यवहार/ पागलपन/अस्वस्थ
- दरुपयोग किया जा रहा है/ इसका उचित ढंग से उपयोग नहीं किया गया है:
- बैंक द्वारा प्राथमिक खाते को निष्क्रय किए जाने की स्थिती में यह सुविधा की समाप्त के बावजुद पहले संसाधित किए गए किंतु सेवा समाप्त के उपरांत कार्डधारक की शाखा को सचित किए गए प्रचालन कार्डधारक के खाते के माध्यम से संसाधित किए

- आवेदन और (२) खोए या अभ्यर्पित कार्ड यदि वह क) यह कार्ड हस्तांतरणीय नहीं है और केवल कार्डधारक द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा।
  - ख) कार्डधारक सदैव यह सुनिश्चित करेगा कि कार्ड हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है तथा किसी भी परिस्थिती में इस कार्ड का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है। बैंक से कार्ड प्राप्त होने के तुरंत बाद कार्डधारक कार्ड के पीछे दिए गए हस्ताक्षर
  - यह कार्ड बैंक की सम्पत्ति है तथा बैंक द्वारा मांग किए जाने पर अथवा कार्डधारक को इस सेवा का लाभ न लेने की इच्छा होने पर उसे यह कार्ड बैंक के किसी प्राधिकृत व्यक्ति को लौटा देना चाहिए।कार्ड सौंपने से पहले कार्डधारक बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति की पहचान
  - ) कार्डधारक बैंक द्वारा प्रदान को गई सभी प्रकार की सविधाओं तथा इससे संबंधित सभी प्रभारों के लिए
  - में भिन्नता हो सकती है। बैंक के पास कार्डधारक को कोई सुचना दिए बगैर संव्यवहार की प्रकृति में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

# 11 बहविध खाते/संयक्त खाते

- क) कार्डधारक सहमत होता है कि यदि उसके बैंक में बहविध खाते हैं तो बैंक यह निर्णय कर सकेगा कि उसके बैंक में कितने खाते रखे जाये जिन पर यह सुविधा उपलब्ध की जाये।
- ख) प्राथमिक खाते का अंतरण अथवा प्राथमिक खाते मे परिचालनगत परिवर्तन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि यह कार्ड वापस नहीं सौंप दिया जाता तथा यदि कोई प्राप्य राशि हैं तो उसे अदा नहीं कर दिया जाता। क) कार्ड धारक निम्न स्थितियों में कार्ड का उपयोग या
- ग) कार्ड का उपयोग कर की गयी सभी प्रकार के सामानों की खरीदी अथवा सेवाओं नकद: फीस. प्रभार तथा कार्ड का उपयोग कर देय सभी भगतानों के लिए बैंक कार्ड से लिंक खाते को नामे करेगा।
- घ) कार्ड धारक कार्ड की वैधता अवधि के दौरान समय-समय पर लाग न्यनतम जमा शेष बैंक के अपने प्राथमिक खाते में बनाये रखेगा तथा यदि किसी भी समय यह जमा राशि कम होती है. या ऊपर किये गये उल्लेख के अनसार निर्धारित न्यनतम सीमा से जमा राणि कम होती है तब बैंक अपने विवेक तथा समय समय पर लागु बैंक के नियमों के अनुसार कार्ड धारक को बिना पूर्व सूचना दिए दंड या सेवा प्रभार लगा
- ड) कार्ड धारक अथवा ऐसा कार्ड धारक जो एक संयुक्त खाताधारक है जिसे संयुक्त खाता एकल रूप से परिचालित करने की अनमती दि गयी है बैंक को इस कार्ड का उपयोग करके. बैंक के रिकॉर्ड के अनसार. आहरित की गयी राशि तथा/ अथवा अंतरण के लिए खाते को नामे (डेबिट) करने के लिए प्राधिकृत करता है. तथापि, बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार, सभी खाताधारक एटीएम मशीन या पीओएस टर्मिनल द्वारा प्रोसेस किए गए संव्यवहार के लिए संयुक्त तथा पृथक रुप से बाध्यकार होंगे. बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्ड से संबंधित सभी तरह की फीस / प्रभार कार्ड धारकों के किसी भी खाते को नामे करके वसल की जायेगी, यदि संयक्त खाताधारकों में से कोई एक कार्ड के संचालन के बारे में भूगतान रोकने. संचालन संबंधी निदेश देना चाहता है तो उसे बैंक को लिखित रुप में ७ दिन पहले इस तरह का नोटीस भेजना होगा जिससे कि बैंक नेटवर्क से जुड़े सभी बैंको / एटीएम केंद्रों को सुचित कर सके तथा अपने विवेकानुसार

# 12 विवरण तथा रिकॉर्ड

- क) कार्ड धारक बैंक के संव्यवहार के संबंधित रिकॉर्ड को सभी उद्देश्योंके लिए निर्णायक तथा बाध्यकारी के ह) कार्ड धारक को एटीएम द्वारा उत्पन्न लेन-देन के रुप में स्वीकार करेगा. एटीएम कार्ड के उपयोग करने पर मशीन से मुद्रीत होकर निकलने वाली पर्ची एटीएम च) कार्ड धारक सहमत है को उसे अधिकतम निर्धारीत पर कार्ड धारक का रिकॉर्ड है तथा इसे इस उद्देश्य से बैंक के रिकॉर्ड रूप में नहीं माना जाएगा, बैंक / शाखाओं के कारोबार समय के उपरांत किए गए संव्यवहार को बैंक के वही खातों में दूसरे कार्य दिवस में दर्शाया जाएगा, प्रभार / ब्याज इत्यादी की उगाही के प्रयोजन से लेन-देन की वास्तविक तारीख से गणना
- ख) कार्ड धारक को लेन-देन की तारीक से १५ दिनोंके भीतर लेन-देन / खाते मे प्रविष्टीयों मे पाई गई किसी अनियमितता अथचा विसंगति की सूचना लिखित तौर पर बैंक को देनी चाहिए. यदि बैंक को १५ दिनों के भीतर इस संबंध में कोई सुचना नहीं मिलती है तो बैंक 14 व्यापारिक प्रतिष्ठानो पर उपयोग यह मान लेगा की वही खाते में दर्ज की गई प्रविष्टियाँ क) यह कार्ड भारत अथवा विदेश में बैंक / वीसा / तथा लेन-देन सही है।

### ग) काई धारक का हित सनिश्चित करने के लिए बैंक कार्ड सविधाओंका उपयोग करते समय किसी व्यक्ति के प्रवेश तथा उपस्थिति के कैमर अथवा विज्ञीओं टेप में अपने स्वयं के विवेक पर रिकॉर्ड कर सकता है कार्ड धारक के अनुरोध पर इलेक्टॉनिक या वृत्त चित्र के रुप में बैंक द्वारा तैयार रिकॉर्ड तथा ऐसे अन्य विवरणोंका रिकॉर्ड तथा उपर कार्ड धारक के बताए अनसार कैमरा / विडीयों की सभी रिकॉर्डिंग को ग्राहक के अनदेशों और ऐसी हिटायतों तथा अन्य

## 13 एटीएम का उपयोग

उपयोग करने का प्रयास कभी भी नहीं करेगा. (१) आहरण अथवा अंतरण के लिए (निर्धारित सीमा के भीतर) जब तक की खाते में पर्याप्त रकम (फंड उपलब्ध नहीं है. (२) और / अथवा अन्य पक्षों को जारी किए गए अपने चेकोंका भुगतान न करने की मंशा से आहरण अथवा अंतरण के लिए. यदि खाते मे एक साथ एटीएम / पीओएस टर्मिनल से किए गर डेबिट को प्राथमिकता ही जाएगी तथा एटीएम पओएस टर्मिनल का उपयोग को डेबिट करने के उपरांत अपर्याप्त शेष होने पर बैंक संबंधित चेकों को वापस लौटा देगा. यह कार्ड धारक की जिम्मेदारी होगी की वह चेक तथा अन्य लेन-टेन के लिए खाते मे पर्याप्त जना शेष(फंड) बनाए रखे

विवरणों के लिए निर्णायक साक्ष समझा जाएगी.

- ख) कार्ड को एटीएम लोकेशन में गोपनीय पन के माध्या से कार्यशील किया जा सकता है पिन के उपयोग से किये सभी लेन-टेन के ऊपरांत रिकॉर्ड को खिकार करेगा। कार्ड धारक के प्रटीपम के माध्यम से लेन-देन परा करने पर वह मद्रीत लेन-देन रिकॉर्ड प्रप्त करने के लिए अनरोध दर्ज करा सकता है। जब कार्डधारक कार्ड का उपयोग करता है तब एटीएम पावती पर उपलब्ध धन राशि मदित हो जाती है। जमाराशियों (डिपॉजिटस) के लिए कोई हस्ताक्षरीत पावती नहीं होगी । जमा के लेन-देन का सत्यापन बैंक
- के पटाधिकारियों या उनके पटनामित व्यक्तियों दारा नकट/चेकों के जमा किए गए करे-फरे या गंदे नीर को भारतीय रिजर्व बैंक के नोट रिफंड नियमों के अध्यधीन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाएंगे तथा कार्ड धारक को संबंधित आगम तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक को इन्हें समाशोधित नहीं कर दिया जाता। विदेशी मुद्रा के रूप में स्विकार जमाराशिया अथवा किन्ही कारणोंसे स्विकार नहीं की गयी जमाराशियां कार्ड धारक के खर्च . जोखिम तथा जिम्मेदारी पर वापस लौटा दी जायेंगी । चेकॉर्क ऊगाड़ी और आगम परकाम्य लिखित अधिनियम वे प्रावधानों के अनुसार स्विकार किया जाएगा।
- अनुदेशोंका पालन करने हेतु का कार्रवाई कर सके। घ) सभी लेन-देन, विशेष रूप से नकद तथा चेक पंव्यवहारों को परिवहन अवधि के कारण जमा देने में विलंब हो सकता है। कार्ड धारको को ऐसे विलंबो के कारण होने वाली हानी अथवा क्षति अथवा असविधा के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
  - रिकॉर्ड को अपने पास रखना चाहिये
  - आहरण सिमा तक नगद आहरण करने और अधिकतम निर्धारित व्यय सीमा तक व्यय / एमई व्यापारी/मर्चट आस्थापना) पर खरीदारी करने की अनुमति होगी बशर्ते उनके खाते (तों) में स्पष्ट शेष राशि उपलब्ध हो या बँक दवारा समय समय पर निर्धारित आहरण/खरीद सीमा के अंतर्गत हो, इन सीमायों का किसी प्रकार से उलंघन होने पर उसे प्रदत्त कार्ड सुविधा हटा दी जाएगी। कार्डधारक सहमत है की जब तक उसके खाते में पर्यापत निधियाँ उपलब्ध न हों वह आहरण/खरीदी (एमई पर) नहीं करेगा।खाते में पर्याप्त शेष उपलब्ध करने की पूरी जिम्मेदारी कार्ड
  - तय की गयी आहरण व एमई (मर्चंट आस्थापना) पर व्यय की सीमा जानने के लिए बैंक की वेबसाईट देखे।
  - मास्टरकार्ड / रूपे का लोगो प्रदर्शित करने वाले तथा

पीओएस टर्मिनल रखनेवाले सभी व्यापारीक प्रतिष्ठानो पर स्वीकार्य होगा। यह कार्ड केवल इलैक्टानिक उपयोग के लिए हैं । जब कभी इस कार्ड का उपयोग व्यापारिक प्रतिष्ठान में किया जाए काई धारक बिक्री पर्ची पर हस्ताक्षर करें तथा इसकी प्रतिलिपी अपने पास रखे। लेन-देन की तारीख से १५ दिनों के भीतर कार्ड धारकों के अनरोध पर बैंक अतिरिक्त प्रभार लेकर वीसा / मास्टर / रूपे कार्ड के नियमों के अनसार बिक्री पर्ची की प्रतिलिपीयाँ दे सकता है। कार्ड धारक टाग व्यक्तिगत रूप से हस्ताश्चर नहीं की गई बिकी पर्ची किन्तु जिसे कार्ड धारक द्वारा प्राधिकृत किए जाने के सबत के रूप में पेश किया जा सकता है को साबित ग) कार्ड के निरस्त होने के मामले में, चाहे वह एक्सचेंज

- करने का उत्तरदायिव कार्ड धारक पर होगा। लेन-देन की राशी कार्ड से संबंधित प्राथमिक खाते से तत्काल नामें (डेबिट) कर ली जाएगी। व्यापारिक प्रतिष्ठानी पर लगाए गए पीओएस टर्मिनलों में पीओएस टर्मिनलों की कार्यात्मकता के आधार पर कार्ड धारकों के हस्ताक्षर पिन की सहायता से यह कार्ड कार्यशील ख) सामानों की आपतीं तथा सेवाओं को शामिल करते हुए
- बैंक कार्ड धारक के व्यापारी के साथ लेन-देन का कोई उत्तरदायित्व स्विकार नहीं करेगा। यदि किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्ड धारक की कोई शिकायत होती है तो कार्ड धारक व्यापारिक प्रतिष्ठान के खिलाफ मिलकर समस्या का समाधान स्वयं करेंगे और वह बैंक के प्रति अपने उत्तरदायित्वसे मुक्त नही होंगे। यहापी कार्ड धारक को इस शिकायन की सचना तत्काल बैंक को देनी चाहीये ताकी बैंक वीसा मास्टर / रूपे कार्ड नियमों के अनुसार कार्रवाई कर
- ग) बैंक किसी व्यापारीक प्रतिष्ठान दारा उगाही गई अधिभार राशी तथा कार्ड धारक के खाते से नामे की डि) कार्डधारक सहमत है की विदेशी मुद्रा के आहरण के गई लेन-देन की राशी के लिए कोई भी जिम्मेदारी स्विकार नहीं करेगा जायेगा। सेवा प्रभार में परिवर्तन बिना सुचना दिए ही
- घ) बैंक को व्यापारिक प्रतिष्ठान से कोई प्रभार या अन्य भुगतान मांग प्राप्त होने पर वह इस बात का प्रामाणिक सबत होगा की ऐसे मांग में दर्शाया गया प्रभार ऐसे प्रभार अथवा अन्य तरह से कार्ड का प्रयोग करते हुए च) सभी विदेशी मुद्रा लेन-देन के लिए प्रयुक्त विनिमय दर कार्ड धारक द्वारा व्यापारीक प्रतिष्ठान में संदर्भित राशी का उपयक्त व्यय कीया गया है ऐसी परिस्थिती को छोडकर जहाँ कार्ड खो गया है या चरा लिया गया है और जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गई है तथा उपरोक्त नियम खंड ६ (क) के अधिन बैंक को इसकी सचना दी गई है।
- ड) यादि कोई काई धारक यह दावा करता है की उसके कार्ड का प्रयोग धोखेबाजी पूर्ण रूप से किया गया है तो इस घोखेबाजी का सबत प्रस्तुत करने का दायित्व कार्ड धारक के उपर होगा। यदि इस तरह के धुर्तता पर्ण प्रयोग के कारण कार्ड धारक को कोई हानि होती है तो बैंक उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा।
- च) यदि कार्ड धारक किसी गलती अथवा व्यापारिक कारणों से वापसी के कारण किसी पर्व संव्यवहार को रह करना चाहता है तो उस स्थिति में मर्चेट ने पर्ववर्ती बिकी रसीदों को निरस्त करना चाहीए और मर्चेंट द्वारा निरस्त संव्यवहारों की रसीद की पावती कार्ड धारक 16. वैश्विक कार्डधारक सहायक सेवाएं (वीसा / को अपने पास रखनी चाहीए। ऐसे लेन-देन की उलट प्रविष्टी /नामे हाथसे (मैनअली )किया जाना होगा। कार्ड धारक के लिए यह आवश्यक है कि वह उलट प्रविष्टी को प्रभावी करने हेत संव्यवहारों को निरस्त करने के लिए बिकी रसीदें प्रस्तुत करें।
- छ) कार्ड का उपयोग डाक आदेश/ फोन आदेश/ इन्टरनेट द्वारा खरीदि के लिए नहीं किया जाना चाहीए ऐसे किसी उपयोग को गैर प्राधिकृत माना जाएगा तथा ऐसे लेन-देन के लिए कार्ड धारक एक मात्र जिम्मेदार

### 15 अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन

क) कॅलेंडर वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आहरण के लिए कार्डधारक अपने पासपोर्ट को विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत डीलर द्वारा पृष्ठांकित करवाएगा और वर्ष की समाप्त के पूर्व उसके सत्यापन के लिए बैंक के पास प्रस्तुत करेगा।भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा

विनिमय नियंत्रण विनियमन (एक्सचेंज कंटोल रेगलेशनौ के गैर अनुपालन अथवा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन नियम १९९९ के दिसी प्रावधान अथवा अन्य तदसदश्य प्रावधानों के गैर अनुपालन के कारण उत्पन्न सभी परिस्थितियों और किसी भी नकसान के लिए बैंक को हानि रहित रखने और श्वतिपूर्ति के लिए

- व) विदेशी मद्रा में किए गए लेन-देन का निपटान वीसा/मास्टर/रूपे कार्ड तंत्र के अनसार प्रभावी किया
- कंटोल रेगलेशन के गैर अनपालन के कारण अथवा अन्य कारण से है. चाहे भारत में अथवा विदेश में कार्ड के उपयोग का कोई प्रयास किया गया है, बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। कार्ड जारी करना और उसका उपयोग समय-समय पर लागु भारतिय रिजर्व बैंक के विनियमनों की शर्तों पर होगा । कार्डधारक इस बात से भी सहमत होगा कि विदेशी मद्रा आहरण कि अनुमती केवल तभी होगी जब उस समय खाते में जिसके सामने कार्ड जारी किया गया है उसके बराबर पर्याप्त भारतीय रुपया जमा शेष होगा और अपर्याप्त जमा शेष के मामले में आहरण को नकार दिया

कार्डधारक द्वारा भारतिय रिजर्व बैंक के विदेशी मद्रा

- विनिमय नियंत्रण विनियमन . विदेशी मद्रा विनिमय प्रबंधन नियम १९९९ और या किसी अन्य नियम और प्राधिकारी के गैर अनपालन के कारण किसी अथवा सभी उत्पन्न परिणामों के लिए काईधारक बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक की हानि की भरपाई करेगा प्रत्येक लेन-देन के लिए बैंक द्वारा तय सेवा प्रभारलगेगा और ऐसे सेवा प्रभारों के लिए कार्डधारक का खाता लेन-देन के समय अथवा बाद में नामे किया
- का निर्णय बैंक द्वारा लिया जायेगा और कार्डधारक पर
- कार्ड द्वारा किए गये सभी लेन-देन चाहे वह बैंक के एटीएम से या अन्य बैंक के एटीएम से या पीओएस टर्मिनल से किए गए है उन्हें कार्डधारक द्वारा स्वयं और/या उसकी जानकारी / प्राधिकार से स्पष्ट या उपलक्षित रूप से किसी दावे या विपरित परिस्थिति के बावजूद भी कार्डधारक द्वारा किया गया प्राधिकृत लेन-देन माना जाएगा।कार्ड के प्रयोग से प्रसंस्कृत सभी लेन-देन के लिए सभी परिस्थितियों में कार्डधारक अपना संपूर्ण दायित्व स्वीकार करेगा। प्रमुख खातों के मामलों मे जो अनिवासी सामान्य / विदेशी खाते हैं काईधारक का एक मात्र दायित्व होगा कि खाते के परिचालन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित किए गए नियमों / मानदंदों का पालन करें।

# मास्टर कार्ड वैश्विक आपात सहायता हेल्पलाईने)

बहुभाषिक वीसा / मास्टर कार्ड / रूपे कार्ड आपात सहायता सेवा योजनाएं विश्वव्यापी आपात प्रासंगिक सहायता वीसा / मास्टर कार्ड / रूपे कार्डधारकों को प्रस्तुत करती है । इसमे व्यापक स्तर पर विधि, चिकित्सा और अन्य सेवाएं सम्मिलित है। इन सविधाओं के अंतर्गत आनेवाली सेवाएं अन्य पक्ष के सेवाप्रदान कर्ताओं द्वारा दी जाती हैं और उनका भगतान वीसा / मास्टर / रूपे कार्ड अंतर्राष्ट्रीय द्वारा किया जाता है। यह सहायता सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है जो कि समय की समस्या. दरी अथवा अवस्थान (लोकेशन) के कारण उपलब्ध नहीं हो सकती है। चंकि वीसा / मास्टर कार्ड / रूपे कार्ड अंतर्राष्ट्रीय के कर्मचारी नहीं है। ऐसी सेवाओं की व्यवस्था अथवा उपयोग के लिए बैंक किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

## 17 दायित्व से अलग होना क) बैंक द्वारा कार्ड धारक को उपलब्ध कराई गई सविधा

- के फल स्वरूप कार्ड धारक एतद्वारा बैंक को सभी कार्रवाईयो, दावो, मांगो, कार्यवाहीया, नुकसान, हानियो, व्यक्तिगत पृछताच खर्चो, प्रभारों और व्ययोको जिसे बैंक ने उपगत, निर्वाह, वहन किया है 18 सुविधाओका आहरण (समाप्ति) या उसके कारण ऐसी स्थिती ने जो प्रतिफल हुआ है या कार्ड धारक को उक्त सविधा देने के कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है या बैंक द्वारा सभ्दावना मे किसी कार्य को करने या विलोपन से या कार्ड धारक के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असावधानी गलती अधवा कदाचार से कार्ड से संबंधित नियमोंके शर्तों और निबंधनों के उल्लंघन अथवा गैर अनुपालन या कार्ड घारक अथवा उसके कर्मचारी या ऐजेन्ट द्वारा खाते मे लेन-देन या धोखाधडी बेर्डमानी के लिए कार्ड धारक बैंक को श्वतिपूर्ति करने और श्वतिरहित रखने के लिए
- ख) कार्ड धारक बैंक को किसी मशीन / मशिनी भल होने / बंद हो जाने के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है। करिअर द्वारा कार्ड/पिन के अन्यत्र दे देने या परिवहन में हुई हानि के लिए भी कार्ड धारक बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।
- ग) उपरोल्लिखित पर बिना पर्वाग्रह के, कार्ड धारक को जिस भी प्रकार को हानी या क्षति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में निम्न प्रकार के है, तो उसके लिए बैंक का कोई 19. प्रकटन भी दायित्व नहीं होगा:

सेवा मे त्रटी रहने पर

निर्देश को प्रभावी करने पर

- \* किसी व्यक्ति द्वारा कार्ड का समादरण या स्विकृत करने से नकार देने पर
- \* कंम्प्यटर टर्मिनल, एटोएम या पीओएस टर्मिनल के गलती करने के कारण \* कार्ड धारक के अलावा किसी अन्य द्वारा लेन-देन
- \* बैंक परिसर में बैंक के पदनामित कर्मचारीओं को छोडकर कीसी अन्य को कार्ड घारक द्वारा कार्ड को
- \* कार्ड पर छपी समाप्ति तिथि के पर्व बैंक द्वारा कार्ड को प्रस्तत और जमा करने की मांग करने के अधिकार का प्रयोग करने पर चाहे एसी मांग और प्रस्तुत करने अथवा जमा करने के लिए बैंक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या कंम्प्युटर टर्मिनल , एटीएम या पीओएस टर्मिनल द्वारा की गई है।
- \* किसी कार्ड को निरस्त करने के लिये बैंक द्वारा उसके अधिकारोंका प्रयोग करने पर
- \* कार्ड के पुनर्धारण के कारण कार्ड धारक को व 20. शुल्क/ प्रभार उनके तथा कथित साख, चरित्र और प्रतिष्ठा को हुई क) बैंक सेवा प्रभार लगाने के अधिकार को सुरक्षित हानि और / अथवा एम ई द्वारा कार्ड को वापस करने के अनुरोध को नकारने या स्विकार करने पर।
- \* बैंक द्वारा किसी गलत विवरण, गलत प्रस्तुति. ख) कार्ड धारक को कार्ड जारी करने अथवा पुन: जारी किसी ब्योरे में गलती या विलोपन का पता लगाए जाने
- घ) ईन सबके अलावा अन्यथा विधी द्वारा अपेक्षति हो तो, यदि कोई प्रोसेस (कार्यवाही) सम्मन, आदेश, रोक, डिकी निष्णादन, ग्रहणाधिकार जानकारी अथवा सुचना बैंक को प्राप्त होती है और सद्भावन से बैंक उसपर विश्वास करता है और कार्ड धारक की क्षमता पर प्रश्न करता है अथवा किसी अन्य की क्षमता पर जिसे कार्ड धारक द्वारा कार्ड के लिए प्राधिकृत माना गया है, प्रश्न करता है, बैंक अपने विकल्प (आणान) से और कार्ड धारक या अन्य ऐसे व्यक्ति के प्रति बिना दाईत्व के उसकी निधीके किसी भाग को कार्ड धारक को देने से नकार कर सकता है और निधी को ग) खाते में ऐसी फीस नामें करने के लिए पर्याप्त निधि न समुचित प्रधिकारी को भुगतान कर सकता है और कानून द्वारा लागु अपेक्षति कोई अन्य कदम उठा

ड) बैंक कार्ड घारक के खाते से उचित सेवा प्रभार और उठाए गए व्यय जिसमे उचित विधि शल्क संम्मिलित है परंत सिमित नही है, जो कि कार्ड धारक के कारण विधी कार्रवाई हुई है, वसुल करने का अधिकार सुरक्षति रखता है

बैंक अपने विवेकाधिकार से कार्ड धारक को कार्डी

एटीएम , पीओएस टर्मिनलों पर और भी अधिक सेवाएं प्रदान कर सकता है और / अथवा साझा नेटवर्क वे माध्यम से काई धारक की सुविधा और उपयोग के लिए अन्य साधन (युक्ति) कर सकता है। इन साधनों पर कीये गए लेन देन से संबंधित सभी शतक प्रभार जैसा की बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारीत कीया जाएगा एसके खाते को नामे करके वसल किया जाएगा। कार्ड धारक यह समझाता है और सहमत है की साझा नेटवर्क विभिन्न प्रकार के कार्य और सेवाए उपलब्ध कराएगा और भिन्न भिन्न सेवाओं के लिए अलग अलग प्रभार होंगे।बैंक अपने एक मात्र विवेक से किसी भी समय , ड को बिना सचना दिए भारत या भारत से बाहर एटीएम . पीओएस टर्मिनलों और अन्य साधनों पर सुविधा वापस लेने, विच्छेद, निरस्त निलंबित / या समाप्त करने के लिए बैंक को हक होगा और ऐसे निलंबन या समापन के फलस्वरूप हुए किसी

जवाबदार नहीं होगा।

क) कार्ड धारक एत द्वारा बैंक को प्राधिकत करता है कि \* एमई द्वारा आपूर्ति कीए गए माल की गुणवत्ता या वह किसी भी समय और किसीभी उद्देश के लिए कोईभी सचना जो कार्ड धारक के व्यक्तिगत विवरण खाते. लेन-देन या बैंक के साथ संव्यवहार को किसी सक्षम क्षेत्राधिकार अदालत सहन्यायिक प्राधिकरण, विधि प्रवर्तन एजेन्सी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के संबंधित स्कंधोंको भारतीय रिजर्व बैंक, आयकर प्राधिकारीयो सांविधिक प्राधिकारीयो विनिय संस्थानो, ऋण ब्युरो/एजंसीयों या किसी भी कंपनी को जो बैंक से संबंध, सहयोगी या सहाय्यक है को प्रकर कर सकती है जो विधि द्वारा या अन्यथा अपेक्षति है

हानि या नकसान के लिए कार्ड धारक के प्रति बैंक

ख) कार्ड धारक बैंक को ऐसी सचना देने के लिए सेहमत है जो विधि अथवा विनियमन द्वारा अपेक्षित है अथवा अन्य सचनाए जिसके लिए बैंक समय समय पर उचित रुप से अनरोध करता है। बैंक किसी सक्षम क्षेत्राधिकार अदालत सहन्यायिक प्राधिकारीयों, विधि प्रवर्तन एजेन्सीयों और अन्य संबंधित प्राधिकारीयों को या उसके कारोबार के संचालन में किसी अन्य व्यक्ति क ग्राहक की सूचना देने के अधिकार को सुरक्षित रखता

और जिसको ऐसे प्रकटन के लिए बैंक उचित मानता

रखती है और जब उचित समझे उसे संशोधित करने का अधिकार बी सुरक्षित रखती है।

करने पर प्रभार लागाने और/ या कार्ड धारक द्वारा कार्ड पर लेन-देन करने पर फिस/ प्रभार लगाने के लिए बैंक अपने अधीकार को सुरक्षित रखती है। ऐसे शल्क और प्रभार / कार्ड धारक के खाते में उस समय लागाए जाऐंगे जब शुल्क और प्रभार उपगत होंगे इसके अलावा साझा नेटवर्क का परिचालन उसके एटीएम, पीओस टर्मिनल अन्य साधनों के प्रत्येक उपयोग के लिए अतिरीक्त प्रभार लगाए जा सकते ह और इस प्रकार का प्रभार अन्य लाग शुल्कों/प्रभारों के साथ कार्ड धारक के खाते में नामें किया जाएगा। ऐसं मुवीधाओंके लिए अलग से सेवाप्रभार लगाया जाएगा और उसको घोषणा वैक द्वारा समय समय पर कं जाएगी और कार्ड धारक का खाता नामे किया जाएगा होने पर, बैंक आगे के लेन-देन को नकारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक का निर्णय कार्ड

धारक पर बंधनकारी होगा

- कोई भी सरकारी प्रभार, ङ्युटी अथवा नामे (डेबिट) 22. बीमा लाभ: या भगतान योग्य कर जो कार्ड के उपयोग के परिणाम स्वरुप है उसके भगतान का दाईत्व कार्ड धारक का है और यदि इसे बैंक पर डाला गया (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में) तो बैंक बिना सूचना दिये ऐसे प्रभारों, ड्यूटी अथवा टैक्स।
- ड) कार्ड धारक बैंक को किसी भी खर्चे जिसमे विधिक खर्चे भी संम्मिलित परंत सिमित नहीं हे, जो बैंक ने कार्ड धारक से राशि वसल करने के लिए खर्च किया है. तथा जो कार्ड के लेन-देन से संबंधित है उसके लिए खातो में कटौती करने के लिए प्राधिकृत करता है और क्षतिपतिं करता है।
- च) यदि किसीभी कारण से खाता अति आहरीत होता है तो उसे जमा स्थिति में लाने हेतु कार्ड धारक को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराना होगा । जब भी खाता अति आहरित होगा प्रत्येक प्रसंगपर ब्याज के अतिरिक्त एक समान शुल्क प्रभारित किया जाएगा। एक समान शल्क और व्याज बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित दर से वसल किया जाएगा।
- छ) कार्ड लेन-देन के कारण यदि कोई खाता अति आहरित हो जाता है तो बैंक को यहअधिकार होगा 23 विविध की वह यह राशी कार्ड धारक के किसी भी अन्य खाते, चाहे वह एकल या संयुक्त हो, की जमा राशी के विरुद्ध बिना कोई नोटीस दिए जहा कही लाग हो

ज) इन निबंधनो और शर्तों मे बैंक और कार्ड धारक के

मध्य समय समय पर किए गए अन्य किसी भी करार

के कारण बैंक के धन के समंजस, अंतरण और

समायोजन के हक पर किसी प्रकार कोई प्रभाव नही इा) कार्ड के जारी/नवीकरण/प्रयोग के लिए लागु शुल्क और प्रभार के लिए बैंक की वेबसाईट देखें।

# www.bankofindia.co.ii

- अ) किसी व्यापारी स्थापना द्वारा कार्ड के स्वीकार करने और / अथवा नकारने की बैंक पर कोई जिस्मेटारी नहीं होगी । व्यापारी स्थापना के साथ किसी लेन-देन से संबंधित विवाद के मामले में जिस बिकी पर्ची पर कार्ड धारक के हस्ताक्षर है तथा कार्ड नंबर नोट किया गया है वह बैंक और कार्ड धारक के मध्य से कार्ड धारक द्वारा - देयता का प्रमाण रूप में अंतिम सबत माना जाएगा / और बैंक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है कि कार्ड धारक ने खरीदा हुआ / खरीदा जानेवाला माल विधिवत रूप से प्राप्त किया है अथवा उपलब्ध की गयी / जाने वाली सेवा कार्ड
- आ) एक बिक्री पर्ची जिसपर कार्ड धारक के हस्ताक्षर तथा 24 परिवर्तन की अधिसूचना: कार्ड नंबर नोट किया गया है वह बैंक और कार्ड अ) बैंक को कार्ड और अथवा / उसके द्वारा प्रदान की मे अंतिम सबत माना जाएगा। बैंक विवरण मे सचित असहमति की सुचना प्राप्त होने से दो महीनो के भीतर करने का पुर्ण अधिकार होगा. निराकारण करने का वास्तविक और पर्याप्त प्रयास के आ) बैंक को प्रदान सभी प्राधिकरण और अधिकार पक्षात यदि बैंक निर्धारित करता है की सृचित किए गए अपरिवर्तनीय होंगे। प्रभार सही है तब बिको पर्ची तथा भुगतान अनुरोध की प्रतिलिपी के साथ ब्योरे उस कार्ड धारक को सम्प्रेषित

धारक को संतोषजनक रूप से मिली है।

ई) साझेदारी नेटवर्क एटीएम लेनदेन संबंधित किसी विवाद के मामले को संबंधित नेटबर्क के विनियमनों आ) कार्डधारक वचन देता है कि वह कार्ड का लाभ और साझेदारी नेटवर्क एटीएम पर किए गए किसी लेनदेन अनुपालन करेगा। कि जिम्मेदारी बैंक नहीं लेगा। यदि कार्डधारक को इ) सभी विवाद मुम्बई के सक्षम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार किसी साझेदारी नेटवर्क एटीएम से संबंधित कोई के अध्यधीन हैं। शिकायत होगी तो कार्डधारक वह मामाल साझेदारी 26 अपरिहार्य घटनाः नेटवर्क के साथ हल कर और ऐसा न करने पर उसे 🌎 बैंक के नियंत्रण के बाहर किसी मामले अथवा कारण बैंक के प्रति किसी बाध्यता से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर भी कार्डधारक को तत्काल बैंक को शिकायत

# बैंक द्वारा कार्डधारक को कार्ड के अंतर्गत बीमा

कंपनी के साथ ताल-मेल के माध्यम से समय समय पर विविध बीमा लाभ दिए जाते है । कार्डधारक विशेष रूप से स्विकार करता है की वह ऐसे बीमा संरक्षण से उद्धृत अथवा संयोजन से किसी भी मामले में, चाहे वह ऐसे बीमा संरक्षण में किसी कमी अथवा खराबी से संबंधित हो, वसली अथवा क्षतिपूर्ति का भगतान हो,दावों की प्रक्रिया अथवा समझोता हो । अन्यथा किसी भी तरह से हो बैंक को उत्तरदायी नही ठहराएगा और ऐसे सभी मामाले सीघे बीमा कंपनी को संबोधित किए जाएंगे तथा एउनके द्वारा निपटाए जाएंगे । बीमा कंपनी दावे के (समझोते) निपटान के लिए अकेली उत्तरदायी होगी । इसके अतिरिक्त कार्डधारक इससे भी सहमत है की बैसक किसी भी समय (अपने स्वयं विवेक पर और कार्डधारक को इसकी बिना कोई सचना दिए अथवा उसक कोई कारण दिए) ऐसे बीमा संरक्षण को बंद कर सकता है, निकाल सकता है अथवा रद्द कर सकता है और बैंक पर यह सर्विधा जारी रखने की बाध्यता नहीं है।

अ) कार्ड के प्रयोग हेतु निबंधन व शर्ते इस दस्तावेज मे विनिदिष्ट तथा समय-समय पर बैंक द्वारा इसमे किए गए संशोधनो के अनुसार होगी।कार्ड अवेदन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने अथवा लिखित रूप से काई की प्राप्ति कि अभिस्विकृति देने अथवा कार्ड के पीछे हस्ताक्षर करने से कार्ड की सहायता से कोई लेन-देन करने से अथवा बैंक को कार्ड के सक्रियण के लिए अनरोध करने से अथवा रिकार्ड के अनुसार कार्डधारक के पते पर कार्ड प्रेषित कराने के पश्चात १० दिन बीत जाने से यह माना जाएगा कि कार्डधारक इन निबंधनो व शर्तो से बिनाशर्त सहमत है और उन्हें वह स्वीकार करता है। आ) यह निबंधन व शर्ते कार्डधारक के किसी खाते से

संबंधित निबंधनो व शर्तो से अतिरिक्त है।इलेक्टानिक प्रणाली अथवा कार्ड लेन-देन के लिए प्रयोग मे अनेवाले उपस्करों की सुरक्षा जारी रखने अथवा पुन स्थापित करने के लिए और अथवा किसी भी तरह के अन्य कारणों के लिए निबंधनों व शर्तों में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस होती है तो बैंक बिना सूचना के इनमें परिवर्तन भी कर सकता ये और

बिजली कि खराबी, संचार व्यवस्था लाईन, मशिनि खराबी अथवा नियंत्रण के बाहर किसी भी कारण से एटीएम कार्य करने की स्थित में नहीं हैं तो बैंक का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

कार्डधारक पर यह बंधनकारी होगा।

धारक के मध्य कार्ड धारक द्वारा देयता प्रमाण के रूप जानेवाली सेवाओको हटा देने का अथवा किसी भी समय कार्डधारक को पर्व सचना दिए बिना उपर्यक्त किए गए प्रभारों के प्रति दुखी कार्ड धारक की निबंधनों व शर्तों में संशोधन अथवा उन्हें अनुपरक

## 25. नियंत्रण विधिः

अ) कार्ड का प्रयोग तथा निबंधन व शर्ते भारत के विधि के अनुसार नियंत्रित गोंगे।

के अनुसार हल किया जाएगा । कार्डधारक द्वारा उपयोग करते समय लागू विविध क्रियाविधि का

से कार्डधारक को हुई हानि अथवा क्षति की क्षतिपूर्ति कार्डघारक को करने के लिए बैंक उत्तरदायी नही

Bank of India RuPay Platinum Kit T&C

CO200723